राजस्थान रीयल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी

सत्यमेव जयते

Rajasthan RERA

द्वितीय एवं तृतीय तल, आरएसआईसी विंग, उधोग भवन,
तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर – 302005
फोन नं. – 0141–2851905–6 वेबसाईट – http://rera.rajasthan.gov.in/

एफ.1(85)रेरा / विविध / 2019 / 758

जयपुर, दिनांक : 20.03.2020

कार्यालय आदेश

कोरोना महामारी से बचाव के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अंतर्गत, ऑथोरिटी द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि :–

1. आज से दिनांक 31 मार्च, 2020 तक रेरा कार्यालय बंद (Shut Down) रहेगा।
2. इस अवधि में रेरा के अधिकारी / कर्मचारी अपने घर पर उपलब्ध रहेंगे और कोरोना से बचाव के लिए पूर्ण सावधानी बरतेंगे। वे बिना अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे और रेरा के आवश्यक कार्यों (exigencies of work) के लिए आवश्यकतानुसार कार्यालय में उपस्थित होंगे, जैसा कि अवकाश के दिनों में होता है।
3. कार्य दिवसों में रेरा कार्यालय का Receipt - Dispatch Section खुला रहेगा और यहाँ एक ऑफिस स्टाफ और एक गार्ड उपस्थित रहेगा। यहाँ Hand Sanitizer का निरंतर उपयोग किया जाएगा।
4. प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन और एजेन्ट रजिस्ट्रेशन सैल के अधिकारियों द्वारा अपना समस्त ऑनलाइन कार्य यथासंभव घर से संपादित किया जाएगा और रजिस्ट्रेशन के Time-bound कार्य की आवश्यकताओं के अनुसार बीच–बीच में कार्यालय आकर पत्रावलियों पर कारवाई की जाएगी।

आज्ञा से,

(रमेश चंद्र शर्मा)
रजिस्ट्रार, रेरा–राज.

(Ramesh Chand Sharma)
Registrar,
Rajasthan RERA, Jaipur

MyComp/D/VDD/Letter/Hindi Letter